भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

|| श्री ||

(3)

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प उज्जैन, म.प्र.

3R/निगरानी/उज्जैन/भू.रा.सं./2017/4847

निगरानी क्रमांक /2016–17

1. रामसिंह पिता बापूजी, आयु–44 वर्ष,
2. तेजूबाई पिता बापूजी, आयु–51 वर्ष,
3. गीताबाई विधवा बापूजी, आयु– लगभग 76 वर्ष, निवासीगण–ग्राम ईलासखेड़ी, पोस्ट–नलवा, तह. घट्टिया, जिला–उज्जैन ....प्रार्थीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री सुनील सक्सेना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30.10.2017
30.10.17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरुद्ध

1. प्रहलाद पिता बापूजी, आयु– लगभग 47 वर्ष, निवासी–ग्राम इलासखेड़ी, पोस्ट नलवा, तह. घट्टिया, जिला–उज्जैन, हा.मु. ग्राम–चंदूखेडी, तहसील व जिला उज्जैन
2. अभिमन्यु पिता अर्जून चंदेल, आयु–29 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–14, यंत्रमहल मार्ग, उज्जैन

.........प्रतिप्रार्थी

1/18

विषय :– धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन सम्भाग, उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 113/विविध/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01/09/2017 के विरुद्ध निगरानी।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भूरा/2017/4847

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सक्सैना, अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था तथा जिसका पुर्नस्थापन आवेदन पत्र भी समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा पुर्नस्थापन प्रकरण में भी आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया गया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	